न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   ।२०१२ निगरानी — R 4042-II/12

रणवीर सिंह पुत्र भोगीलाल नाबालिग व सरपरस्त पिता स्वयं भोगीलाल, निवासी-ग्राम श्योपुरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थी

विरुद्ध

१- बालकृष्ण पुत्र रतना खंगार,
निवासी बढौरा, तहसील करैरा,
जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

२- जनकोबाई पत्नी किस्सू खंगार,
निवासिन ग्राम मुंगावली, तहसील
जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, करैरा, जिला शिवपुरी दिनांक १-११-१२, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र० २४।१०-११-अ-६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, जब विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व सम्बन्धी विवाद दीवानी न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालयों को नामान्तरण की कार्यवाही दीवानी

क्रमशः---

XXiX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4042-दो/12 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.डी. दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	